9.11.22 पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। होने से पद रिक्त है।
आज साहब का स्थानान्तरण होने
अतः पत्रावली इलतवा होकर आयन्दा
दिनांक 6.12.22 को पेश हो।

6.12.22 पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित।
आज साहब सिरोही पधारे हैं।
अतः पत्रावली इलतवा होकर आयन्दा
दिनांक 27.12.22 को पेश हो।

27.12.22 पत्रावली पेश हुई। वास्ते जवाब अप्रार्थीगण हेतु इंतजार होकर पत्रावली दिनांक 7.1.23 को पेश हो।

दिनांक 7.1.2023 को राजकीय अवकाश होने से

9.1.23 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण घुटीदेवी व अमृतलाल द्वारा दिनांक 13.09.2022 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है उसे अस्वीकार किया जाता है। क्योंकि उक्त अप्रार्थीगणों का जमाबंदी में नाम दर्ज करने के लिये निमयानुसार भू–राजस्व अधिनिमय 75 के तहत सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त बंटवाड हेतु वाद तहसीलदार शिवगंज द्वारा दर्ज कराया गया है विवादित आराजी में तहसीलदार शिवगंज खातेदार नहीं है जबकि बंटवाडा हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 53 के तहत खातेदार/सहखातेदार ही वाद दायर करवा सकता है।

अतः तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीएक्ट विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] से जमा हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2023.03.01 17:06:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
शिवगंज (सिरोही)